समाहरणालय, जमुई
(निर्वाचन शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक–485/Camp/ERO-Net/2016 दिनांक–16.03.2017 तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का पत्रांक–बी1–3–110/2016–1796 पटना दिनांक–01.06.2017 से प्राप्त पत्र के निदेशानुसार जमुई जिला अन्तर्गत सभी 04 (चार) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 240–सिकन्दरा (अ0जा0), 241–जमुई, 242–झाझा एवं 243–चकाई के लिए ERO-Net के माध्यम से फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण कराये जाने, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नये विस्तृत दिशा–निर्देश के आलोक में रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र का निर्माण कराये जाने तथा जबतक रंगीन मतदाता पहचान पत्र निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तबतक पूर्ववत् श्याम एवं श्वेत मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण के लिए दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य इच्छुक फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति में मोहर बंद निविदा दिनांक–10.07.2017 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी website – http://jamui.bih.nic.in तथा जमुई जिला के वेबसाईट पर देखी जा सकती है। तथा विहित प्रपत्र दिनांक–08.07.2017 तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय जमुई में 1000.00 रूपये (एक हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमाकर प्राप्त किया जा सकता है। सभी कार्यो के लिए निविदा दाता को जिला निर्वाचन कार्यालय जमुई द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में ही दर देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य हो जायेगी। निविदा निर्धारित तिथि 10.07.2017 को अपराह्न 01:00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय जमुई में दिया जा सकता है एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 10.07.2017 को अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वंय या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नही होने की स्थिति में पुनः निविदा निष्पादन की तिथि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

23/6/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(निर्वाचन शाखा)
फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु इच्छुक निविदादाताओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की शर्ते

➢ (क) निविदा की सामान्य शर्ते :– मूल्य–रू 1000/– (निविदा पत्र सहित)

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होना आवश्यक है। निर्वाचन कार्यालय, जमुई द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I & Annexure-II) में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
2. बगैर कोई कारण बताए निविदा रद्द करने, संशोधित करने एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. सभी कार्य ERMS System/ERO-Net अथवा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में उपलब्ध कराये गये Software के माध्यम से किया जाएगा।
4. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यो के लिए एक ही एजेंसी का चयन किया जाएगा। बिहार के अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है तो उसे Company Act 1956 अंतगर्त निबंधित होना चाहिए। वैसे निविदादाता जो Proprietorship or Partnership Firm के रूप में निबंधित है, के लिए मान्य है, जबकि निविदादाता का Consortium होना मान्य नहीं होगा।
6. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई के द्वारा निर्धारित शर्तो/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
7. निविदा के साथ संलग्न किये जानेवाले कागजात निविदा जमा करते वक्त संलग्न रहना चाहिए, बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

➢ **(ख) तकनीकी निविदा की शर्ते :–**

1. निविदादाता फर्म को Bihar Shop & Establishment Act एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत कम से कम पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदादाता फर्म को सेवा कर (Service Tax) एवं बिहार वाणिज्य कर (VAT) का निबंधन प्रमाण–पत्र तथा अद्यतन रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह निबंधन कम से कम पाँच वर्ष पूर्व का होना चाहिए। GST लागू होने GST में निबंधन अपरिहार्य होगा तथा GST का दर अनुमान्य होगा।
3. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र/किराया की स्थिति की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी।
4. निविदादाता फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN No.) के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिटर्न (Return) एवं पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2013–14, 2014–15, 2015–16) का Audited Balance Sheet के साथ प्रति वर्ष तीन करोड़ रूपये का Turn Over का Audited Report संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organisation) एवं ESIC (Employees State Insurance Corporation) के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम, योग्यता, अनुभव के साथ देनी होगी। यह निबंधन दो वर्ष पूर्व से होना चाहिए।

7. निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, जमुई के पक्ष में 30,000.00 (तीस हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।

8. निविदादाता फर्म को बिहार राज्य अन्तगर्त फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र निर्माण करने का विगत पाँच वर्षो (2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16) का अनुभव के साथ साथ लगातार तीन वर्षो में (2013–14, 2014–15, 2015–16) प्रतिवर्ष तीन जिलों में कम से कम 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु जिला द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सब कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।

9. निविदादाता फर्म के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र निर्माण हेतु आधारभूत संरचना यथा कम से कम 15 कम्प्यूटर, 2 जेनरेटर, आवश्यकतानुसार यू0पी0एस0, उच्च कोटि एवं हाई स्पीड का 2 प्रिन्टर्स एवं 5 लेमिनेशन मशीन आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण–पत्र देना होगा तथा उनकी संख्या सहित पूर्ण विवरणी भी देना होगा। उपलब्ध दिखाये गये संसाधन का भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जायेगा।

10. आवंटित कार्य के Sub Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का शपथ–पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में Sub Contracting पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेते हुए जमा जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

11. फर्म द्वारा प्रयुक्त System में अनुज्ञप्ति प्राप्त (License) Operating System एवं Anti Virus Software का प्रयोग करना होगा तथा इस संबंध में शपथ–पत्र देना होगा।

12. निविदादाता को जिला मुख्यालय, जमुई में ही कार्य करने का शपथ–पत्र देना होगा। कार्य स्थल पर फर्म को वांछित तकनीकी एवं मानव संसाधन के साथ–साथ पूर्ण रूप से Official व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि प्राप्त प्रपत्रों एवं डाटा प्रविष्टि के उपरान्त वापस किये गये प्रपत्रों की संख्या का समुचित अनुश्रवण किया जा सके।

13. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण के लिए फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप कार्य करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।

14. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा।

15. राज्य की Electoral Roll Management System/ERO-NET के EPIC Module के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये Software अथवा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये Software को छोड़कर वेण्डर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य Software के माध्यम से ईपिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण के क्रम में लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ A-4 साईज के 75GSM पेपर का प्रयोग करने संबंधी नोटरी से निर्गत शपथ–पत्र देना होगा।

17. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेपर प्रिन्टेड ब्लैक एण्ड वाईट ईपिक के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत है :–

    (a) फोटो पहचान पत्र का आकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है एवं यह 8.4 से0मी0 लम्बाई×5.0 से0मी0 चौड़ाई का होना चाहिये। छायाचित्र 320×240 मेगा पिक्सेल स्पष्टता (Resolution) एवं 2.4 ऊँचाई × 1.8 से0मी0 चौड़ाई के आकार का होना चाहिये जिसमें छायाचित्र का 75% भाग सामने लिये गये निर्वाचक के चेहरे से आच्छादित हो।

    (b) आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ईपिक की छपाई से प्रयुक्त होने वाला कागज 165 जी0एस0एम0 से कम का नहीं होना चाहिये। जहाँ कागज की एक ओर ही छपाई कर एवं उसे

मोड़कर ईपिक तैयार किया गया हो, वहाँ प्रयुक्त किया गया कागज 80 जी0एस0एम0 से कम का नही होना चाहिये।

(c) ईपिक के लेमिनेशन मे प्रयोग की जाने वाली पॉलिस्टर परत की मोटाई कम–से–कम 125 माईक्रॉन होनी चाहिये।

18. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पी.भी.सी. प्रिन्टेड रंगीन ईपिक कार्ड के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत है :–

(a)	पी0भी0सी0 रंगीन ईपिक कार्ड का आकार	: 8.6 cm vertical and 5.4 cm horizontal
(b)	कार्ड की मोटाई	: 0.6 mm to 0.8 mm.
(c)	लेमिनेशन	: 60 microns (कम से कम)

19. निविदादाता को ERMS Portal/ERO-Net अथवा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उपलबध कराये गये Portal अथवा Module से सफलतापूर्वक फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु एक वृहत् कार्य योजना बनाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रयुक्त होने वाले कागज एवं पॉलिस्टर फिल्म का नमूना भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20. वित्तीय या तकनीकी निविदा खुलने के उपरांत यदि अपूर्ण/वगैर हस्ताक्षर/वगैर मुहर के पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. निविदादाता की फर्म का किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र देना होगा।

➢ ***(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें :–***

1. तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जाएगा।
2. वित्तीय निविदा में फोटोयुक्त मतदाता सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण से संबंधित दर सभी प्रकार के कर एवं कार्यालय तक पहुँचाने का भाड़ा सहित निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।
3. सफलता पूर्वक कार्य निष्पाद्न के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन विलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार रूपये) की कटौती की जाएगी तथा एक सप्ताह से अधिक विलंब अथवा कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

23/6/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई।

ज्ञापांक– 306 /निर्वा0, दिनांक– 23-6-2017

प्रतिलिपि–मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/बेगुसराय एवं खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त, जमुई/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई/नजारत उप समाहर्त्ता, जमुई को सूचनार्थ एवं इसे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई।